न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

अपील संख्या 95/14

तारीख रजू– 28/03/2014

... पुत्र श्री भरोसी जाति गुर्जर निवासी ग्राम चूली तहसील गंगापुरसिटी। ---अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार,गंगापुरसिटी।

------ रेस्पो0

निर्णय

दिनांक– 10/09/15

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार,गंगापुरसिटी द्वारा मिसल संख्या 13/14 मे पारित आदेश दिनांक 11/02/2014 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम चूली की आराजी खसरा नम्बर 1801 रकवा 0.50 हेक्टर किस्म गै0मु0चरागाह पर संवत 2070 रबी मे अनाधिकृत रूप से पुख्ता मकान बनाकर कब्जा काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने,फसल जब्त कर नीलामी करने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया है। इकतरफा रूप से पटवारी हल्का के बयान लेखवद्व कर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। इकतरफा रूप से लिये गये बयानो का साक्ष्य मे कोई विधिक महत्व नही होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानने मे कानूनी भूल की है क्योकि अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिचारी की श्रेणी मे नही आता है। पत्रावली मे ऐसी कोई साक्ष्य नही है जिससे अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिचारी माना जा सके। बेदखली के संबंध मे पूर्व कार्यवाही का कोई दस्तावेज नही है। पश्चातवर्ती अतिकमी साबित साबित करने के लिये भौतिक रूप से किसी व्यक्ति को बेदखल किया जाना आवश्यक है ओर ऐसी बेदखली की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी से होना आवश्यक है परन्तु इस पत्रावली मे ऐसा कोई साक्ष्य मोजूद नही होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी का मोके पर कोई कब्जा नही है महज दुश्मनी के कारण दीगर व्यक्तियो के बहकावे मे आकर पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की है जिसमे कोई सत्यता नही है इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि निर्णय दिनांक 11/02/14 की अपीलार्थी को कोई जानकारी नही थी दिनांक 25/03/14 को जब पुलिस के सिपाही गिरफ्तारी वारण्ट लेकर घर पहुचा उस समय अपीलार्थी घर पर नही होने से अपीलार्थी के घर पर आने पर परिवार वालो ने बताया जब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई व दिनांक ../03/14 को नकल प्राप्त कर नकल प्राप्ति के दिनांक से अपील अन्दर मियाद अदालत हाजा मे पेश की है जिस बाबत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया है। अतः अपील

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपील संख्या 95/14 उनवानी काडू/सरकार

अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।।

विद्वान राजकीय पेरोकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अदालत मातहत द्वारा 11/02/14 को पारित निर्णय की अपील 28/03/14 को प्रस्तुत की है तथा विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण अंकित नही किया है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विद्वान राजकीय पेरोकार ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व सुनवाई सबूत का अवसर दिया है तथा पश्चातवर्ती अतिचार के क्रम मे सम्यक जांच करने के उपरान्त ही आदेश पारित किया है जिसमे कोई अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावें।

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेरोकार राज की बहस सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील मे अंकित तथ्यो व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी अतिक्रमी को विधिवत रूप से सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई तिथि 11/02/14 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलार्थी की प्रोपर तामील हुई है ऐसी अवस्था मे अपीलार्थी का यह कथन मानने योग्य नही है कि उसको सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया हैं। जहां तक अपीलार्थी को अतिक्रमित आराजी पर पूर्ववर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध मे यद्यपि अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे किये गये अतिचार के संबंध मे अदालत मातहत मे पटवारी हल्का द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक से प्रमाणित अतिक्रमण की रिपोर्ट जिसमे पुराना अतिचार होना अंकित है व पटवारी हल्का के बयान के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी से पूर्व मे बेदखली का आदेश कब पारित किया ओर आदेश की पालना मे अपीलार्थी को भोतिक रूप से कब बेदखल किया गया कि बेदखली की रिपोर्ट/निर्णय की प्रमाणित प्रति अथवा खसरा परिवर्तनशील(पी.14) की प्रमाणित प्रतिलिपि अदालत मातहत की पत्रावली मे शामिल नही की है। जिससे यह भलीभाति जाहिर हो रहा है कि अदालत मातहत ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है व बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलार्थी के विरूद्व पारित सिविल कारावास की कठोर सजा का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है व इस बाबत जॉच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली,शास्ति व फसल जब्त कर नीलामी का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा करण सिविल कारावास के बिन्दु पर जॉच हेतु तहसीलदार,गंगापुरसिटी को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया है कि अपीलार्थी के अतिक्रमित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध मे स्तावेजी साक्ष्य की पुष्टि के पश्चात नवीन सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 10/09/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर